परिशिष्ट - 4

रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर 2003

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या- ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

आवश्यक सूचना

इस विज्ञापन से संबंधित समस्त सूचनायें आयोग की वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

1. इस परीक्षा में अ.प्र.से.आर. आवेदन पत्र वितरित किए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में उल्लिखित शुल्क के दिए गए ड्राफ्टों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अ.पी.जी. सिविल के आवेदन पत्रों (कम्पनी अभ्यर्थियों, अ.प्र. के अन्य सिविल सर्वे के अभ्यर्थियों तथा अ.प्र. के सहायक प्रशासन सेवाओं के अर्हकारी अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 150/ तथा अ.पी.जी. सिविल (अ.प्र. के अनुसूचित जाति/अ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 50/- है। अ.प्र. के मूलभूत सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपने मुख्य केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

2. अभ्यर्थी अपने अ.प्र.से.आर. आवेदन पत्र को भली भांति पढ़ लेंगे अपने पास आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र सहित के दस्तावेजों में अ.प्र.से.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

3.1. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परीक्षा। 4 अनिवार्य विषयों के वैकल्पिक परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में इस प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

3. रिक्तियाँ - रिक्तियों की कुल संख्या 347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 72, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07 उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ अवधित हैं। शासकीय संख्या-18/1/95-का-2/1996 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए व्यवस्थानुसार उ.प्र. के महानगर प्रशासन केन्द्रीयों के अभिवंश की दो रिक्तियां तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों की एक रिक्तियां आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जायेगा। यह भी स्पष्ट की दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के संघटक के विभागों को आरक्षण दिया जाना अनुपलब्ध नहीं है।

नोट - (1) आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित प्राधिकार बनाये, अन्यथा के सम्बन्ध में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में सूचित निर्धारित प्रपत्र पर मांग अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त हो तो इस क्रम में इस क्रम में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। (2) आयोग केवल के लिये अभ्यर्थी अ.प्र.से.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) इस में अंकित आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल तब तक ही अ.प्र. सेवा में नियुक्ति नहीं दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े इस व्यवस्था संबंध केवलों के अर्हकार एवं भूतपूर्व सैनिक के उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुपलब्ध नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी साक्षात्कार केवल के अभ्यर्थी बनने अपात्र। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 6 के प्रावधान उ.प्र. की महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों - (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. - 15744/2001 मंजुला श्रीवास्तव बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18622/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 626/2001 कु. निकोली श्रीवास्तव बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह तथा (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18674/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह तथा (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. निकोली श्रीवास्तव बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहते। अभ्यर्थियों परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

3 क्रीमीलेयर - 9000-250-10750-300-13150-350-14550

4. वरीयता आधार - उक्त उ.प्र. में दिये द्वारा न्यायिक किसी विश्वविद्यालय में या राजस्थान द्वारा इस परीक्षा के लिये मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय के फॉर्म में समकक्ष उपाधि होना आवश्यक है, अर्थात् (क) अधिनियम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन न्यायालय आई अधिनियम या द्वारा या भारत अन्यत्रीय या अन्य कोई संस्थान या व्यवस्थापक में अधिकारों के समान का कोई भारतीय और या व्यवस्थापन या उच्च अधिनियम न्यायालय के समान का इसका होना आवश्यक है। (ख) डिप्लोमाधारी जिनके में डिग्री का समकक्ष होना आवश्यक है।

5. आयु सीमा - अभ्यर्थियों की 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु अवश्य हुई अर्थात् उन्होंने जन्म 30 जून से पूर्वतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1982 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए। उ.प्र. के अनुसूचित जाति उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा तीन वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थी तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा तीन वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (सामान्य) नियमावली, 2003 के प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को अनुसूचीबद्धजाति के है वे इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर प्रदान की अनुमति की दशा अधिकारण पर होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने के की जायेगी।

शासनादेश सं. 17/2/1981-कार्मिक-2 दिनांक 28 फरवरी 1985 के प्रावधान के अनुसार संघ के अन्तरालवर्तीय प्रशासन प्रशिक्षणार्थियों/अन्तरालवर्तीय सेवा प्रशिक्षण द्वारा अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्यरत प्रवर उप अधिकारियों को डिग्री/या कम से कम पाँच वर्ष की कुल सेवाओं के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल का प्रमाण पत्रधारक दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुज्ञात होगी जो आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि से 9 माह की अवधि में कार्यमुक्त हो रहे हों। परन्तु निम्नलिखित को अनुज्ञा नहीं होगी: (1) जो व्यक्ति अवैध अनुशासन के कारण सेवामुक्त हुए हों (2) जो सेवा की शर्तों में अनुज्ञा सम्बन्धी अन्य कोई शासनीय प्रावधान अवैध अनुशासन के अन्तर्गत सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 ।। 1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेल के प्रतियोगिताओं के दृष्टिगत खिलाड़ियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. शुल्क - आवेदन पत्रों के विक्रय के समय ही इस परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र का शुल्क रु0 इक्यावन रु. 150 (रु. 100 + 20 + 30) एक साथ लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु प्रारम्भ में कोई देय ड्राफ्ट आवेदन टूकड़ी द्वारा संलग्न नहीं करना होगा। आवेदन पत्र का शुल्क वापस अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों हेतु रु. 50/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 50/- (रु. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपने मुख्य केन्द्रों के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सम्बन्ध करेंगे कि वे आवेदन पत्र भरने पर निर्धारित शुल्क प्राप्त करें। आवेदन पत्रों के साथ किसी प्रकार के परिवाद प्रेषण मूल्य किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल आयोगीय आवेदन पत्र मूल रूप में स्वीकार किया जायेगा, फोटो प्रति मूल्य मान्य नहीं होगी।

7. आवेदन केन्द्र - आयोग द्वारा अ.प्र.से.आर. आवेदन पत्र विक्रय संबंधित सूची में दिखाए गए डाकघरों को मुख्य रखेंगे हुए प्रारम्भ डाकघर के माध्यम से उ.प्र. के सहायक प्रशासन अधिकारी (सामान्य) उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आवेदन पत्र विक्रय किये जायेंगे। उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उ.प्र. के सहायक प्रशासन अधिकारी (सामान्य) उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उ.प्र. के सहायक प्रशासन अधिकारी (सामान्य) तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु उ.प्र. के सहायक प्रशासन अधिकारी (सामान्य) के कार्यालय में आवेदन पत्र विक्रय किये जायेंगे।

आवेदन केन्द्र की सूची - प्रयाग (282 001), अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद (इ.जी. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद केसरगंज लाइन (211 004), इलाहाबाद (सिविल) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर-224 122, औरैया-206 122, आजमगढ़ 276 001, बलिया 243 601, बाराबंकी-260 008, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बरेलियां 277 001, बदायूं 210 001, बागपत 250 611, बांदा 243 001, बस्ती (बाजी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर-203 001, चन्दौली 232 109, चित्रकूट (बाजी)-210 205, देवरिया-274 001, एटा-207 005, इटावा 206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर 212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद 201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर 210 301, हरदोई 241 001, हाथरस 207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर 222 001, झांसी 284 001, जयोतिबाफूलनगर (अमरोहा)-272 127, कानपुर-208725, कानपुर जी.टी.एस. 208 004, कानपुर देहात-209 001, कन्नौज-रसवाकाठ, कौशाम्बी (कड़ाधाम)-212 207, कुशीनगर (पड़रौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर 284 403, लखनऊ जी.टी.एस.-226 001, लखनऊ (सिविल)-226 003, महाराजगंज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, सम्भल अमरोहा (सम्भलपुर), सन्त रविदास नगर (भदोही), सरायमीरपुर-242 001, सीतापुर (सिवा), सिद्धार्थनगर (सिद्दौरी बाजार), सोनभद्र- 267 001, सुल्तानपुर (दक्षिणांचल), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.एम., - 221 001, वाराणसी केन्द्र-221 002।

8. महत्वपूर्ण निर्देश -

(1) एक विज्ञापन में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक विज्ञापन में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। ऐसा होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अशुद्धियुक्त आवेदन पत्र स्वयमालोचित होने के दशा में सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की पर्याप्त जांचकर करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुज्ञापत्र भेजा जायेगा। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों को प्राप्ति रसीद प्रदानिकरण के रूप में जारी है, इसके भी रसीद प्रदान कर दें।

(4) आयोग अभ्यर्थी/आयोगाधीन कर्मचारी द्वारा अधिकारी जो केवल के अनुज्ञप्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनके केन्द्र केवल के पूर्वतर के लिए त्रुटि की गई है, वे इस परीक्षा के लिए अनन्तिम संख्या - 22/10/1978-का-2-95, दिनांक 30.1.95 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं -

(i) अभ्यर्थी को केन्द्र परिवर्तन अनुरोधन के संबंध प्रतिज्ञापत्र के रूप में शपथपत्र के द्वारा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पूर्णतर के लिए बढ़ाई गई है तथा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ii) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ यह निर्णायक अभ्यर्थीकरण स्पष्ट करना होगा कि आवेदक पत्र के लिए पूरा दिए जाने पर उसे अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के मुख्यालय उपलब्ध नहीं होगा। आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर अभ्यर्थियों को यह सुविधा अनुज्ञप्त नहीं होगी यदि। (iii) उन्हें केन्द्र में पहली अभ्यर्थना अन्य ही गयी है। (iv) यह आयोग केन्द्र केन्द्र सेवा में उपलब्ध हुआ है (v) यह केन्द्र सेवा में आवेदन के समान उपलब्ध हुआ है।

(5) परीक्षा - केन्द्र में चयनों के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश होना होगा सहित कि वह परीक्षार्थ की दिन में केन्द्र में केन्द्राधीक्षण के लिए सभी द्वारा से उपस्थित हो सके। वह सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में चयनित या चयनित या किसी राज्य विधान परिषद द्वारा अधिकार के रूप में कार्यरत व्यक्ति विभिन्न पद या पीठ आसनों के किसी प्रकार के लिए चयनित दर्ज महिला या व्यवस्था सहित किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रकार के लिए उन चिह्न अंग अवधान के लिए दावेदार हाई व्यक्ति केन्द्र में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) वैकल्पिक खाकियों - यदि वे किसी पद पर नियुक्ति के लिए देय पूर्ण अभ्यर्थी पाते व हाल जिनको एक से अधिक वर्तमान प्रैक्टिस हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पाए व हाल जिनका ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(7) सशरीरिक सक्षमता - किसी अभ्यर्थी का केवल में किसी पद पर नियुक्ति यही किया उपलब्ध उस बात कि कार्यालय और कार्यालिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे सांक्रामिक रोग से पीड़ित न हो जिसके उसे अपने कर्तव्यों का यथासमुचित पालन करने में बाधा पहुंचे की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसके एक प्रमाण को आयोग कि वह किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई परीक्षण करे।

(8) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आहूत किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा समय निर्धारित मानदण्ड तक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा पत्र भेजे जाने पर निर्धारित प्रवेश पत्रों भरने होने तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

(9) साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, राजकीय प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यालिक दी जाती तथा अन्य वांछित अभिलेख उपस्थित करने होंगे।

(10) केन्द्र प्रशासन राज्य सरकार के प्रशासन प्रशासन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय कार्यालय का अनुमोदन उपलब्ध कर भी उपलब्ध करना होगा।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्रों के साथ में कोई जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का कार्यालयीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे योग्य हैं। विज्ञापन में वर्णित अनुदेशों का अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें। विज्ञापन में वर्णित अनुदेशों के बाद ही आवेदन करें। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने पर विचार किया जायेगा। आवेदन पत्रों के प्रस्तुतकरण के बाद अभ्यर्थियों द्वारा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(12) प्रवेश आवेदन पत्र की वास्तविक अभिवंश अभ्यर्थियों की अभिव्यक्ति पर निर्भर है। किन्तु यह है किसी के कम पर यह पद आने पर कि अभ्यर्थी उसे नहीं दी या प्रवेश उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह वास्तविक रूप पर है उसकी उम्मीदवारी किया उसे प्रवेश आवेदन विलम्ब का दोष आयोग नहीं दी, किन्तु पूर्व रूपेण यह है कि आयोग उसे अनुपयुक्त पाया।

(13) आयोग आवेदन परीक्षा पत्रों में संशोधन करने अनुज्ञाधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग प्रवेश आवेदन के अस्वीकार होने की दशा में किया अभ्यर्थियों के उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(14) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(15) यदि अभ्यर्थी ने यहां में कोई परिवर्तन होना है तो उसे तत्काल से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग में कभी पत्राचार में परीक्षा का नाम विज्ञापन संख्या अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थिता तथा अनुस्मारक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम -

क्र.सं.	अभ्यर्थ	क्र.सं.	अभ्यर्थ
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झांसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम	1 घंटे	अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और सामान्य मानसिक एवं वैज्ञानिकी, सामान्य एवं अभिरुचि के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न-पत्रों में सामान्य की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक मुस्तैदिल शिक्षित किसी सिविल अधिकार के उपाधि प्राप्त में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय	1 घंटे	अंक-150

निबंध

इस प्रश्न पत्र में भारत से संबंधित विशेष रूप से विशेषज्ञ होना है, ही दी हिन्दी अंग्रेजी को दर्शाए, अभिव्यक्ति एवं विषयों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि सामान्य
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून
(iii) संविधान अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान
(iv) भारतीय संविधान
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(vii) भारतीय दण्ड संहिता
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) अपराधिक प्रक्रिया संहिता
(x) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे -

प्रश्न पत्र क्रमांक - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और सामान्य मानसिक एवं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य एवं अभिरुचि के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक मुस्तैदिल शिक्षित किसी सिविल अधिकार के उपाधि प्राप्त में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र क्रमांक - 2 भाषा :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे निर्दिष्ट अनुसार में दस प्रश्न सम्मिलित होंगे -

(1)	अंग्रेजी में निबंध एक विषय	60 अंक
(2)	अंग्रेजी में सार लेखन	60 अंक
(3)	हिन्दी, से अंग्रेजी में परिवर्तन का अनुवाद	40 अंक
(4)	अंग्रेजी से हिन्दी में परिवर्तन का अनुवाद	40 अंक

प्रश्न पत्र क्रमांक - 3 विधि :-

लिखित विधि: यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। विधि की इस निम्नलिखित इस आयोजित की जाने है वीमेंस होंगे -

संविदा विधि, साक्षेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अचलसंपत्ति सम्बन्धी विधि कम्पनी के अधिनियम में सामान्य विधि जिसमें विशेषकर इस पर लागू सुलभता के विद्वानम सम्मिलित होंगे। व्यापार एवं डिस्टिंक्ट अनुशीलन का विधि के विशेष सम्बन्ध में कंपनी के विद्वान, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और सामान्यिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल सामान्यिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र क्रमांक - 4 विधि-2

(संविधान एवं साक्ष्य) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। विधि की इस निम्नलिखित इनमें आयोजित की जाने है वीमेंस होंगे -

साक्ष्य विधि, दण्ड संहिता दण्डित अधिनियम के विद्वानों को सांगोपित करते हुए लिखित परीक्षा सहित विधि की प्रश्न मुकदमाध्य व्यावहारिक मामलों में समाविष्ट होंगे -उक्त-से-सम्बन्धित आरोपों और दण्ड विधि-पूर्व की विरचना, पक्षों के अधिकार व्यवहार की विधियाँ, निर्णयों का लेखन और कार्य का सम्पादन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र क्रमांक - 5 विधि-3

(दण्डिक, राजस्व और प्रशासनिक विधियाँ) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। विधि की इन्हें निम्नलिखित द्वारा आयोजित की जाने है वीमेंस होंगे -

दण्ड संहिता, 1860 दण्ड प्रक्रिया-विधान और पुलिस व्यवस्था अधिनियम, 1961 उत्तर प्रदेश सड़कों पथन (किराये पर देने, किराये तथा बेसवारी का विनियमन) अधिनियम, 1972 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त उत्तर प्रदेशन एवं अधिनियम, उत्तर प्रदेश जेल सजावनी अधिनियम, 1963 उत्तर प्रदेश नगर (उद्यान और विद्यालय) अधिनियम, 1973 इन अधिनियमों के अधीन इनसे संबंधित नियम।

व्यावहारिक विधियों के इनमें से प्रश्न अभिवंश होंगे। दण्डिक विधियों के सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, प्रशासनिक राजस्व और व्यावहारिक विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

प्रश्नपत्र - 6 सामान्यतः -

सामान्यतया 100 अंकों का होगा।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थी को अनुपयुक्त की परीक्षण प्रक्रमी अवस्था, चरित्र दक्षिणता और व्यक्तिगत योग्यता एवं सम्पन्न पहलू देते हुए उनकी मूल्यांकन के प्रकार से किया जायेगा।

व्यक्तीकरण - अभ्यर्थी के लिए व्यावसाय हाल और विधि प्रश्न पत्रों के प्रश्न हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी - (1) साक्षात्कार में प्रश्न किसी भी अंकों की विधियों प्रश्न पत्र में उक्त किसी भी अंकों में प्रदेश आयोग और अभ्यर्थी का स्थान होने के कुल ज्ञान पर निर्भर करेगा।

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने के हकदार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने प्रश्न पत्रों में प्राप्त उक्त 4 लिए में से कुल न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त नहीं किए हैं।